# छत्तीसगढ़ विधान सभा

## पत्रक भाग - एक

## संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा | सप्तम सत्र | अंक-10

<u>रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 मार्च, 2016</u>

(फाल्गुन 26, शक संवत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)**

### 1. बधाई

माननीय अध्यक्ष ने श्री महेश गागड़ा, सदस्य के जन्मदिवस के अवसर पर सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दीं।

### 2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 एवं 03 से 10 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 02 की प्रश्नकर्ता सदस्य श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम अनुपस्थित रहीं।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

### 3. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

### 4. पृच्छा

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने प्रदेश में ओलावृष्टि होने के संबंध में वक्तव्य की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा।

**(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)**

## 5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने कंपनी अधिनियम 2013, (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष वित्तीय वर्ष 2010-2011, तथा
2. श्री लखन देवांगन, संसदीय सचिव ने वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन अधिनियम 1962, (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2013-2014 **पटल पर रखे।**

## 6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री बृहस्पत सिंह, मोहन मरकाम, मोतीलाल देवांगन, सदस्य ने प्रदेश के स्कूलों में लैब उपकरण सामग्री खरीदी में अनयमितता किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 7. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

## 8. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने जीएमआर एनर्जी एंड पावर लिमिटेड को अनधिकृत लाभ पहुंचाये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

## 9. वक्तव्य

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने प्रदेश में ओलावृष्टि के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

## 10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री संतोष बाफना

(2) श्री मोहन मरकाम

(3) श्री टी.एस.सिंहदेव

(4) श्री भूपेश बघेल

## 11. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) माननीय पंचायत मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री भूपेश बघेल,

**(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)**

डॉ. खिलावन साहू, सर्वश्री उमेश पटेल, शिवरतन शर्मा, मोहन मरकाम, बृहस्पत सिंह, संतराम नेताम, दलेश्वर साहू,

**(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)**

श्री केशव चंद्रा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.विमल चोपड़ा, सर्वश्री दीपक बैज, अमित अजीत जोगी,

**(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)**

श्री अमित अजीत जोगी सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान मोबाईल का उपयोग किये जाने पर श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आसंदी का ध्यान इस ओर आकर्षित किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय सदस्यगण सभा में इलेक्ट्रिक गजट के उपयोग की अनुमति नियमों के अंतर्गत नहीं कर सकते। माननीय सदस्य ध्यान रखें।

श्री मोतीलाल देवांगन, श्री टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया। श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष द्वारा पंचायत मंत्री के वाक्यांशों पर आपत्ति ली गई।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

## 12. बहिर्गमन

श्री टी.एस. सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया ।

माननीय अध्यक्ष ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया। श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने उनके द्वारा कथित वाक्यांशों के लिए खेद व्यक्त करते हुए शब्द वापिस लिए।

(सदन की कार्यवाही 5.49 बजे स्थगित की जाकर 6.24 बजे पुन: समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)**

## 13. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से लोक निर्माण विभाग की मांगे प्रस्तुत होने तथा उन पर चर्चा प्रारंभ होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगो का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल से संबंधित मांग संख्या 24, लोक निर्माण कार्य-भवन से संबंधित मांग संख्या 67, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं से संबंधित मांग संख्या 76, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 21, परिवहन से संबंधित मांग संख्या 36 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-24 पर श्री केशव चंद्रा, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

**सायं 7.17 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 17 मार्च, 2016 (फाल्गुन-27, शक संवत् 1937) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।**

**देवेन्द्र वर्मा**
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा